न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 92/2013

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद्, बारां जिला बारां

(निगराकार)

बनाम

1. हेमन्त कुमार पुत्र दुलीचन्द जैन जाति महाजन, निवासी दांता ग्राम पंचायत केलवाड़ा, तहसील शाहाबाद जिला बारां
2. ग्राम पंचायत केलवाड़ा जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, पंचायत समिति शाहाबाद जिला बारां (राज0)

(गैरनिगराकारांन)

निगरानी अन्तर्गत धारा 92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994

बाबत निरस्त किये जाने पट्टा

उपस्थिति :— 1. श्री रूपचन्द सिंगावत अभिभाषक (निगराकार)

निर्णय दिनांक 20.03.2024

निगराकार द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत निगरानी संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत केलवाड़ा ने दिनांक 21.01.2004 को आबादी भूमि का पट्टा क्रमांक 808 साइज 20X60 वर्गफीट का गैर निगराकार क्रम 1 को जारी किया है जो नियम विरूद्ध व अवैद्यानिक होने से निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा पुराने मकानों का विनियमितीकरण नियम 157(ख) के अंतर्गत जारी करना दर्शाया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि पट्टाधारी को खाली भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है। मौके पर कोई पुराना मकान नहीं बना होना पाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध पट्टा जारी कर राजकोष को हानि पहुंचाई है। ग्राम पंचायत केलवाड़ा की ऑडिट निरीक्षक रिपोर्ट वर्ष 2003—04 में भी उक्त मदों बाबत आक्षेप गठित किया गया है जिसकी जांच विकास अधिकारी एवं लेखाधिकारी जिला परिषद् बारां द्वारा की गई, जिसमें गैर निगराकार को जारी पट्टा नियम विरूद्ध पाया गया और गैरनिगराकार से 10/— रूपये प्रतिवर्गफीट D.L.C. दर के मुताबिक 11750/— रूपये वसूल योग्य पायी गयी है। अतः निवेदन है कि गैर निगराकार क्रम 1 के पक्ष में दिनांक 21.01.2004 को जारी पट्टा संख्या 808 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, गैर निगराकारान को तलब किया गया।

गैर निगराकार क्रम 1 व 2 बावजूद सूचना निरन्तर अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एकपक्षीय बहस अभिभाषक निगराकार की सुनकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किये जाने का विनिश्चय किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.04.29 10:03:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

उपखण्ड अधिकारी, शाहाबाद से प्रकरण के संबंध में वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी, शाहाबाद से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार हेमन्त कुमार पुत्र दुलीचन्द, महाजन निवासी दांता को पट्टा खसरा नंबर 72/310 में दिया गया है। इस संबंध में राजस्व रेकार्ड से जांच करने पर खसरा नंबर 72/310 किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज है। मौके पर स्वंय पट्टाधारी का मकान बना होना बताया गया है।

हमने बहस एकपक्षीय अभिभाषक निगराकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत केलवाड़ा द्वारा मनमाने तरीके से नियम विरूद्ध पट्टा जारी कर निर्धारित राशि प्राप्त नही कर ग्राम पंचायत को आर्थिक क्षति पहुंचाई है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत केलवाड़ा द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को जारी पट्टा क्रमांक 808 दिनांक 21.01.2004 निरस्त फरमाया जावे।

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक निगराकान पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा पुराने मकानों का विनियमितीकरण नियम 157(ख) के अंतर्गत जारी करना दर्शाया गया है तथा निगराकार द्वारा निगरानी के समर्थन में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट विकास अधिकारी, पंचायत समिति शाहाबाद एवं लेखाधिकारी, जिला परिषद् बारां के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत केलवाड़ा द्वारा गैर निगराकार को खाली भूमि का पट्टा अल्प राशि की रसीद काटकर जारी कर राजकोष को हानि पहुंचाई है। उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद की रिपोर्ट अनुसार मौके पर पट्टाधारी का मकान निर्मित होना बताया गया है। परन्तु पट्टाधारी ने अंकेक्षण दल द्वारा आक्षेपित राशि जमा नहीं कराई है। इस प्रकार ग्राम पंचायत केलवाड़ा द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को जारी पट्टा निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप निगराकार की निगरानी सशर्त स्वीकार की जाती है, यदि गैरनिगराकार क्रम 1 शेष राशि 11750/- रूपये 45 दिवस में जमा करा देवे तो पट्टा बहाल रखा जावेगा। निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं कराये जाने पर ग्राम पंचायत केलवाड़ा द्वारा गैरनिगराकार क्रम-1 **हेमन्त कुमार पुत्र दुलीचन्द जैन, जाति महाजन, निवासी ग्राम दांता** के पक्ष में जारी पट्टा क्रमांक 808 दिनांक 21.01.2004 क्षेत्रफल 20X60 वर्गफीट निरस्त समझा जावेगा तथा पट्टेधारी को उक्त पट्टे पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होगें।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2024 को लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.04.29 10:03:07 IST
Reason: SelfAttested